

संघ लोक सेवा आयोग
भर्ती-II अनुभाग

पुनः जांच अंतिम जांच / शॉर्टलिस्टिंग विवरण	
पद का नाम	न्यायालयी (फॉरेंसिक) विज्ञान प्रयोगशाला, गृह विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (प्राक्षेपिकी) के 01 (एक) पद, (अन्य पिछड़ा वर्ग-01) के लिए भर्ती।
विज्ञापन सं.	04/2021
रिक्ति सं.	21020406227

- इस भर्ती मामले की संवीक्षा और शॉर्टलिस्टिंग का विवरण आरम्भ में ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर दिनांक 17.03.2022 को अपलोड कर दी गई थी।
- उम्मीदवारों को दिनांक 31.03.2022 तक ई-मेल के माध्यम से अपने अभ्यावेदन को व्यक्त करने के लिए एक विंडो दी गई थी। यह भी उल्लेख किया गया था कि सभी ई-मेल की जांच की जाएगी परन्तु जैसा कि पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था, उनमें से किसी भी मेल का कोई व्यक्तिगत जवाब नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यह आश्वस्त किया गया था कि संशोधित संवीक्षा तथा शॉर्टलिस्टिंग का विवरण यथा समय अपलोड कर दिया जाएगा।
- कुल 02 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और ऑनलाइन भर्ती आवेदन में दावा किए गए आयु, श्रेणी, योग्यता, अनुभव और वांछनीय अनुभव के संदर्भ में उनके ऑनलाइन भर्ती आवेदनों के साथ दोनों अभ्यावेदनों की जांच की गई है और आयोग द्वारा उपनाए गए एवं अनुमोदित शॉर्टलिस्टिंग मानदंड और तौर-तरीकों को देखते हुए कोई भी पात्र नहीं पाया गया है।
- तदनुसार, संवीक्षा में कोई संशोधन आवश्यक नहीं है और यह निम्नानुसार अपरिवर्तित है:-

अनिवार्य योग्यता

(क) शैक्षिक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक स्तर पर भौतिकी या गणित या न्यायालयिक विज्ञान एक विषय के साथ भौतिकी / गणित / न्यायालयिक विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री।

(ख) अनुभव :

**संगत क्षेत्र में विश्लेषणात्मक विधियों / अनुसंधान में तीन वर्ष का अनुभव।

नोट : **संगत क्षेत्र में अनुभव का अभिप्राय प्राक्षेपिकी / भौतिकी के क्षेत्र में अनुसंधान / विश्लेषणात्मक अनुभव से है।

टिप्पणी-1 : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है।

वांछनीय योग्यता : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में डॉक्टरेट की डिग्री या समकक्ष।

अपनाई गई कार्य प्रणाली	<p>i. संवीक्षा ऑन-लाइन की गई है। पहले, उम्मीदवारों द्वारा अपने ऑन-लाइन आवेदन में प्रदान की गई सूचना तथा किए गए दावों के आधार पर कंप्यूटर प्रणाली द्वारा सृजित की गई रिपोर्ट के आधार पर, और उसके बाद आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए गए जिनके आवेदनों को उनके समर्थित दस्तावेजों की संवीक्षा के आधार पर, जो केवल ऐसे उम्मीदवारों के मामले में की गई, जिन्हें ऑनलाइन आवेदनों में उनके द्वारा प्रदान की गई सूचना तथा किए गए दावों के आधार पर प्रथम दृष्टया पात्र पाया गया।</p> <p>ii. आवेदनों की संवीक्षा पूर्ण रूप से प्रश्नगत पद के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार की गई है।</p> <p>iii. उम्मीदवारों द्वारा दावा किए गए कुल अनुभव पर विचार किया गया, यदि इसके समर्थन में आवश्यक प्रमाणपत्र लगाए गए हैं।</p> <p>iv. जिन उम्मीदवारों के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी अ.पि.व. प्रमाण पत्र नहीं है और जिनके पास अन्य राज्य सरकार द्वारा जारी अ.पि.व. प्रमाण पत्र के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी अन्य राज्य के अ.पि.व. प्रमाण पत्र हैं को "अपूर्ण" के रूप में रद्द कर दिया गया है।</p>
------------------------	---

शार्टलिस्ट करने के लिए अपनाए गए मानदंड	अ.यो.-क + अ.यो.-ख
--	-------------------

उपर्युक्त मानदंडों को अपनाकर सभी 32 आवेदनों को जांच हेतु विचारार्थ क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। उम्मीदवारों द्वारा ऑन-लाइन प्रस्तुत किए गए विवरण और अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर जांच की गई है। पद केवल अ.पि.व. श्रेणियों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए आरक्षित है।

01 (एक) (अन्य पिछड़ा वर्ग) रिक्ति के लिए संवीक्षा:

विचार क्षेत्र के तहत आवेदनों की कुल संख्या : 32

मानदंड: अ.यो.-क + अ.यो.-ख

साक्षात्कार हेतु बुलाए गए :

अनुक्रमांक : 22 (01 उम्मीदवार)

अस्वीकृति:

एलईक्यू-ख (आवश्यक योग्यता की कमी-ख)

उम्मीदवार अपने दावा किए गए कुल अनुभव के कारण विचारार्थ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन प्रासंगिक अनुभव नहीं रखते हैं या संवीक्षा के दौरान यथापरिकल्पित संगत अनुभव भर्ती नियमों के अनुसार आवश्यक अनुभव से कम है।

अनुक्रमांक 17 (01 उम्मीदवार)

अपूर्ण :-

अनुक्रमांक :

1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,
14,	15,	16,	18,	19,	20,	21,	23,	24,	25,	26,	27,	28,
29,	30,	31,	32	(30 उम्मीदवार)								

कृपया ध्यान दें : शार्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे साक्षात्कार के लिए आयोग में आते समय अपने सभी समर्थक दस्तावेजों की मूल प्रतियां साथ लेकर आएँ। इन्हें साक्षात्कार के दिन सत्यापित किया जाएगा और उम्मीदवारों को साक्षात्कार में केवल तभी भाग लेने दिया जाएगा जब उनके द्वारा आवेदनपत्र में इंगित किए गए सभी तथ्य मूल दस्तावेजों के अनुसार सत्य होंगे।

उप सचिव (भर्ती-2)
संघ लोक सेवा आयोग

उपरोक्त विवरण के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।